Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **जयपुर में भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर–पश्चिम, जयपुर को 3,80,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर 27 फरवरी 2026, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर–द्वितीय ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अनिल कुमार हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर पश्चिम, जयपुर** को 3,80,000/– **रूपये** रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर–द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि अनिल कुमार हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर पश्चिम, जयपुर द्वारा परिवादी की पुश्तेणी जमीन के तकासमा कार्य को किये जाने की एवज में 5 लाख की रिश्वत राशि की मांग की जाकर रिश्वत राशि लेने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर–द्वितीय की टीम द्वारा उक्त शिकायत का सत्यापन करवाने पर दौराने सत्यापन परिवादी से 20,000/– रूपये प्राप्त कर 04 लाख रूपये लेने हेतु सहमत होकर 01 लाख रूपये स्वयं के लिये तथा 03 लाख रूपये उपखण्ड अधिकारी जयपुर – प्रथम के लिये लेने हेतु सहमत होने पर आज दिनांक 27.02.2026 को **अति. पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र**, के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री छोटीलाल** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी अनिल कुमार पुत्र हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर पश्चिम, जयपुर को परिवादी से 3,80,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

ए.सी.बी. के **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में एवम् ए.सी.बी. के महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमाला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।